

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज

दिनांक- अक्टूबर 11, 2020

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ***117 वाहनों का चालान , 10 वाहनों से कुल 7000/-रूपया शमन शुल्क वसूल*** किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर बिना मास्क लगाये घुमने वालों पर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर धारा ***188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कुल- 26*** व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी व ***मास्क न लगाने वाले कुल- 119 व्यक्तियों से 11900/- रुपये शमन शुल्क*** वसूला गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से ***कुल- 20 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार*** कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पशु क्रूरता अधिनियम मे की गयी कार्यवाही-

थाना नौतनवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

अभियुक्तगण 1. शमशुद्दीन कुरैशी पुत्र अब्दुल सत्तार नि0 वार्ड नं0 -06 परसौनी थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज
2. अकिल पुत्र कईमुन नि0 पुरे सुबेदार का टोला बहूआ जनपद अमेठी के द्वारा 01 पीकप पर 32 राशी बकरा को क्रूरता पूर्वक दूश के ले जाने पर थाना स्थानीय पर ***मु0अ0सं0- 258/20, धारा- 11 क पशु क्रूरता अधिनियम*** का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया ।

आबकारी अधिनियम मे की गयी कार्यवाही-

थाना चौक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त विजय चौधरी पुत्र गेना नि0 नर्सरी चौक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर ***मु0अ0सं0- 127/20, धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम*** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया ।

थाना फरेन्दा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त राम किशुन उर्फ पिन्टू पुत्र हिरालाल नि0 सिधवारी थाना फरेन्दा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर ***मु0अ0सं0-220/20, धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम*** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया ।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए ***कुल- 13** विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 10/11-10-2020 को विभिन्न अपराधों में कुल- 24 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।